न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 28–तीन/1999 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.11.1998 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 118/1993–94 अपील

1– रामकरन सिंह पुत्र रसाल सिंह
2– नटवर सिंह पुत्र रसाल सिंह
पुरानी वस्ती,किले के पीछे, भिण्ड
हाल निवासी परीक्षत का पुरा मौजा
श्यामपुर कलॉ तहसील पोरसा,मुरैना
व्दारा मु.आ. रामसहाय पुत्र मंगलसिंह
ग्राम परीक्षत का पुरा मौजा श्यामपुर कलॉ
तहसील पोरसा जिला मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– मोहनसिंह पुत्र लज्जाराम
2– मु.कस्तूरीवाई पत्नि स्व.लज्जाराम
ग्राम परीक्षत का पुरा मौजा श्यामपुर
कलॉ तहसील पोरसा जिला मुरैना ---असल अनावेदक
3– गजेन्द्रसिंह पुत्र रामसहाय ठाकुर
ग्राम परीक्षत का पुरा मौजा श्यामपुर
कलॉ तहसील पोरसा जिला मुरैना ---तरतीवी अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 6-11-2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 118/1993–94 अपील में पारित आदेश दिनांक 12.11.98 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम श्यामपुर कलॉ स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1326 रकबा एक वीघा तेरह विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) की भूमिस्वामी महिला ललितावाई थी, जिसके मृत्यु उपरांत ग्रामकी नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 59 पर राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 3-7-92 से अनावेदक क्रमांक एक व दो का वारिसाना हक पर नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह के समक्ष अपील क्रमांक 65/1992-93 होने पर आदेश दिनांक 8-2-94 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 118/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-11-1998 से अपील निरस्त हुई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओ पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से परिलक्षित है कि मृतक खातेदार महिला ललितावाई की मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 59 पर आदेश दिनांक 3-7-92 से अनावेदक क्रमांक एक व दो का वारिसाना हक पर नामान्तरण किया गया है, जिसके विरूद्ध आवेदकगण के मुख्त्यारआम रामसहाय पुत्र मंगलसिंह ग्राम परीक्षत का पुरा मौजा श्यामपुर कलॉ ने अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह के समक्ष अपील क्रमांक

65/1992-93 प्रस्तुत की है अर्थात मामला आवेदकगण एंव अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के बीच भूमि विवाद का एंव नामान्तरण अपील का है। अपर आयुक्त, चंबल संभाग के प्रकरण में नायव तहसीलदार पोरसा के प्रकरण क्रमांक 34/1993-94 अ 6 अ में पारित आदेश दिनांक 24-9-94 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति संलग्न है, जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि पर गजेन्द्रसिंह अनावेदक क्र-3 एंव आवेदकगण के बीच कब्जे के आधार पर संहिता की धारा 168,190 का वाद निर्णीत हुआ है जिसमें वादग्रस्त भूमि पर महिला ललितावाई के स्थान पर गजेन्द्रसिंह को सिकमी कास्तकार घोषित कर नामान्तरण के आदेश दिये गये हैं। इसी प्रकरण में मोहन सिंह एंव महिला कस्तूरीवाई को तरतीवीं पक्षकार बनाया गया है जबकि मूल भूमिस्वामिनी महिला ललिता वाई की मृत्यु 30.7.1992 के पूर्व हो चुकी थी एंव वादग्रस्त भूमि पर राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 3-7-92 से अनावेदक क्रमांक एक व दो का वारिसाना हक पर नामान्तरण होकर अभिलेख में अमल हो चुका था, जबकि नायव तहसीलदार आदेश दिनांक 24.9.94 से मृतक महिला ललितावाई के स्थान पर गजेन्द्रसिंह को संहिता की धारा 168,190 के अंतर्गत भूमिस्वामी घोषित कर नामान्तरण का आदेश दे रहे है जो कि उनके व्दारा नियुक्त आममुख्त्यार की सहमति पर आधारित है नायव तहसीलदार का आदेश मृतक महिला के विरूद्व होने तथा अभिलिखित भूमिस्वामियों को छोड़कर पारित किये जाने के कारण विधि के प्रभाव से ही अकृत एंव शून्यवत् है। संहिता की धारा 168/190 के प्रकरण में आवेदकगण के आम-मुख्त्यार व्दारा सहमति प्रदान कर आदेश

पारित कराया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में आवेदकगण यथासमय राजस्व निरीक्षक के आदेश की जानकारी न होने का तथ्य बता रहे हैं जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने जो आदेश दिनांक 8.4.1994 पारित कर निर्णय लिया है वह ठोस आधारों पर आधारित होना है जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग ने आदेश दिनांक 12-11-98 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 8.4.94 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है । वैसे भी अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नजर नहीं आता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 118/93-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-11-98 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर